ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

17 October 2024

भारत का कोयला संक्रमण

संदर्भ: हाल ही में पर्यावरण थिंक-टैंक आईफॉरेस्ट द्वारा किए गए अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत को कोयला खनन और ताप विद्युत संयंत्रों से दूर जाने के लिए अगले 30 वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर (लगभग 84 लाख करोड़) से अधिक की आवश्यकता होगी।

- यह अध्ययन भारत की कोयले पर निर्भरता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के निवेश की और ध्यान आकृष्ट करता है। साथ ही, यह ऊर्जा संक्रमण के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली योजना की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **कोयला खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करना:** अनुमानित लागत मुख्य रूप से उन खदानों को बंद करने पर केन्द्रित है जो सामूहिक रूप से प्रति वर्ष 1,315 मिलियन टन कोयला उत्पादित करते हैं और 237.2 गीगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना है।
- **आवश्यक निवेश की अनुपस्थिति:** इस अनुमान में नए हरित ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए आवश्यक निवेश को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, जो खरबों डॉलर में होने का अनुमान है। इसमें स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए संक्रमण लागतों को भी शामिल नहीं किया गया है, जो सीधे कोयले पर निर्भर हैं।
- **पुनर्वास और सहायता लागत:** संबंधित लागतों में बंद कोयला खदानों का पुनर्वास और पुन: उपयोग, तथा कोयला अर्थव्यवस्था पर निर्भर लगभग 60 लाख श्रमिकों को सहायता प्रदान करना शामिल होगा। विशेष रूप से, रिपोर्ट में 343,504 हेक्टेयर कोयला खनन भूमि के पुनर्वास और थर्मल पावर प्लांट स्थलों पर 124,789 हेक्टेयर भूमि के हरित पुनर्स्थापन का उल्लेख किया गया है।

संक्रमण लागत का विभाजन:

अध्ययन में संक्रमण लागत को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है:

- **हरित ऊर्जा लागत:** यह परिवर्तन की कुल लागत का लगभग 52% है। इसमें हरित ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के साथ मौजूदा ताप विद्युत स्टेशनों को पुन: सशक्त बनाने और बिजली ग्रिड को उन्नत करने के लिए होने वाले व्यय शामिल हैं।
- **गैर-ऊर्जा लागत:** संक्रमण लागत का लगभग 48% हिस्सा, जिसमें 'न्यायसंगत संक्रमण लागत' शामिल है। यह लागत वैकल्पिक आजीविका खोजने और हरित नौकरियों का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में श्रमिकों और समुदायों का समर्थन करने पर केंद्रित है।

वर्तमान कोयला निर्भरता और रोजगार:

- वर्तमान में, कोयला भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 55% पूरा करता है और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र देश के बिजली उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा उत्पन्न करते हैं। ये क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, जो विभिन्न जिलों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
- हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 417 कोयला और लिग्नाइट खदानें संचालित हैं, जिनमें से नौ राज्यों के केवल 12 जिले देश के कुल कोयला और लिग्नाइट का 72% उत्पादन करते हैं। विशेष रूप से, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ओडिशा का अंगुल, और छत्तीसगढ़ का कोरबा भारत के कुल कोयला उत्पादन में 42% का योगदान करते हैं।

वैश्विक भूख सूचकांक

संदर्भ: वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का 105वां स्थान है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों द्वारा 127 देशों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेतकों के आधार पर जीएचआई स्कोर के साथ भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।

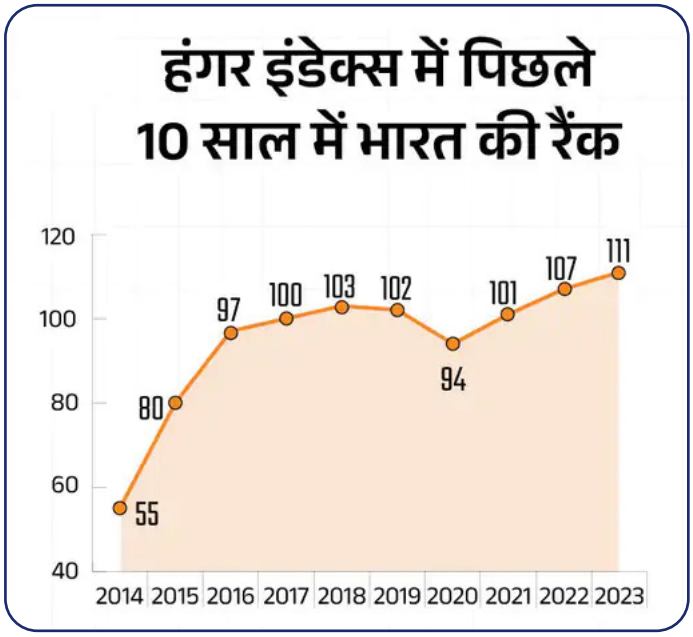

सूचकांक के संकेत:

- भारत का 2024 वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) स्कोर 27.3 भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

को रेखांकित करता है।

- रिपोर्ट बताती है कि 13.7% आबादी कुपोषित है, जो कैलोरी सेवन से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती है।
- चिंताजनक रूप से, पाँच वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित हैं, और 18.7% कमजोर हैं, जो क्रोनिक और तीव्र कुपोषण दोनों को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, पाँच वर्ष की आयु से पहले 2.9% बाल मृत्यु दर अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियों के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है।

संकेतकों की भूमिका:

- ये संकेतक पोषण में सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने और भूख में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।
- इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमजोर आबादी को स्वस्थ भविष्य के लिए आवश्यक सहायता मिले।

सूचकांक की गणना:

- वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) स्कोर की गणना 100-बिंदु पैमाने पर की जाती है, जहाँ कम स्कोर बेहतर स्थिति और शून्य भूख को दर्शाता है, जबकि उच्च स्कोर अधिक गंभीर भूख को दर्शाता है।
- कुपोषण, बाल विकास में कमी, कमजोरी और बाल मृत्यु दर के चिंताजनक संकेतकों के परिणामस्वरूप भारत का 27.3 का स्कोर भूख से निपटने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत देता है।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास:

- भूख से निपटने के लिए तत्काल मानवीय सहायता और दीर्घकालिक समाधान दोनों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों को इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
  - » **खाद्य सुरक्षा:** सभी के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  - » **स्वास्थ्य सेवा की पहुंच:** खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।
  - » **सतत खाद्य प्रणालियां:** कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना जो पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य उपलब्धता का समर्थन करें।

समाधान और हस्तक्षेप:

- इन समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:
  - » **सरकारी पहल:** खाद्य सुरक्षा में सुधार, पोषण कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को लागू करने वाली नीतियों को अपनाना।
  - » **एनजीओ और सामुदायिक प्रयास:** एनजीओ और स्थानीय संगठन शिक्षा, आउटरीच, और सीधे समर्थन के माध्यम से कमजोर वर्गों की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
  - » **सहयोगी रणनीतियाँ:** सरकारों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि स्थायी समाधान विकसित किए जा सकें।

ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश

संदर्भ: भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्रीनवाशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए ग्रीनवाशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ग्रीनवाशिंग के बारे में:

- ग्रीनवाशिंग किसी उत्पाद या अभ्यास के पर्यावरणीय लाभों के बारे में गलत या भ्रामक बयान देने का कार्य है।
- यह कंपनियों के लिए अपने प्रदूषणकारी और साथ ही संबंधित हानिकारक व्यवहारों को जारी रखने या विस्तारित करने का एक तरीका हो सकता है, जबकि वे सिस्टम को धोखा दे रहे हैं या अच्छे इरादे वाले, स्थायी सोच वाले उपभोक्ताओं से लाभ कमा रहे हैं।
- यह शब्द 1986 में पर्यावरणविद् और तत्कालीन छात्र जे वेस्टरवेल्ड द्वारा एक निबंध में दिया गया था।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं:

- **स्पष्ट परिभाषाएं:** यह दिशानिर्देश ग्रीनवाशिंग और पर्यावरणीय दावों से संबंधित शब्दों की स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों की एक समान समझ हो।
- **पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाएं:** निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को अपने पर्यावरण संबंधी दावों को विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करना आवश्यक है। इसमें ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली और डेटा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना शामिल है।
- **भ्रामक शब्दों का निषेध:** उचित प्रमाण के बिना 'पर्यावरण अनुकूल', 'हरित' और 'टिकाऊ' जैसे अस्पष्ट या भ्रामक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है।
- **तृतीय-पक्ष प्रमाणन:** पर्यावरणीय दावों की पुष्टि के लिए तृतीय-पक्ष

प्रमाणन भी स्वीकार किए जाते हैं।

- **पर्याप्त खुलासे:** कंपनियों को महत्वपूर्ण जानकारी का स्पष्ट तरीके से खुलासा करना आवश्यक है, जो सुलभ हो। दावों में संदर्भित पहलुओं (वस्तु, विनिर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग, आदि) को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और इनके संबंध में विश्वसनीय प्रमाण या विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करना चाहिए।

दिशा–निर्देशों में मुख्य परिभाषाएँ:

पर्यावरणीय दावे:

- पर्यावरणीय दावों का अर्थ है किसी भी रूप में निम्नलिखित के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व:
  - » कोई भी सामान (या तो उसकी संपूर्णता में या उसके घटक के रूप में), विनिर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग, सामान के उपयोग का तरीका या उसका निपटान; या
  - » कोई भी सेवा (या उसका कोई भाग) या सेवा प्रदान करने में शामिल प्रक्रिया में
  - » पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं का सुझाव देना जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय जिम्मेदारी या पर्यावरण मित्रता की भावना को व्यक्त करना है।

ग्रीनवाशिंग:

- ग्रीनवाशिंग का अर्थ है:
  - » कोई भी भ्रामक या गुमराह करने वाला व्यवहार, जिसमें प्रासंगिक जानकारी को छोड़ना या छिपाना, बढ़ा-चढ़ाकर बताना, अस्पष्ट, झूठे या अप्रमाणित पर्यावरणीय दावे करना शामिल है।
  - » भ्रामक शब्दों, प्रतीकों या छवियों का उपयोग, हानिकारक विशेषताओं को कम करके या छिपाते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय पहलुओं पर जोर देना।

ग्रीनवाशिंग का प्रभाव:

- **उपभोक्ताओं को गुमराह करना:** ग्रीनवाशिंग उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिला सकता है कि कोई कंपनी वास्तव में जितनी पर्यावरण के अनुकूल है, उससे कहीं ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। इससे उपभोक्ता ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।
- **संसाधनों को मोड़ना:** ग्रीनवाशिंग वास्तविक संधारणीयता प्रयासों से ध्यान और संसाधनों को हटा सकता है।
- **हानिकारक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना:** ग्रीनवाशिंग उपभोक्ताओं के लिए वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करना कठिन बनाकर पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- **'ग्रीन' शब्द को कमजोर करना:** ग्रीनवाशिंग 'ग्रीन' या 'पर्यावरण के अनुकूल' शब्द को कमजोर कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रामाणिक संधारणीयता प्रयासों और विपणन चालों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
- **लोगों को हानिकारक उत्पादों के संपर्क में लाना:** ग्रीनवाशिंग उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और सामान्य रूप से दुनिया को विषाक्त, खतरनाक और/या पर्यावरण के लिए हानिकारक उत्पादों या उत्पादन विधियों के संपर्क में ला सकता है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ

- हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मंत्रिपरिषद के साथ शपथ दिलाई गई।
- हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, जो 10 साल के अंतराल के बाद आयोजित किए गए थे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों पर जीत हासिल की।
- इससे पहले, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

17 October 2024

तीन नए एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा

- हाल ही में 15 अक्टूबर को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में तीन नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की, जो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और टिकाऊ शहरों पर ध्यान देंगे। इन केंद्रों की स्थापना एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपड़, और आईआईटी कानपुर में की जाएगी।
- एम्स दिल्ली में स्थित केंद्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग करेगा। आईआईटी रोपड़ में स्थित केंद्र कृषि के विकास पर और आईआईटी कानपुर में स्थित केंद्र टिकाऊ शहरों के लिए समाधान विकसित करेगा।
- इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो और लोगों का कल्याण हो।
- इन उत्कृष्टता केंद्रों को उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप के साथ मिलकर चलाया जाएगा, जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। इन केंद्रों में नए शोध किए जाएंगे, आधुनिक तकनीक विकसित की जाएगी, और स्केलेबल समाधान तैयार किए जाएंगे।
- इनकी स्थापना की योजना बजट 2023-24 में की गई थी, जिससे भारत में AI के विकास को तेजी से बढ़ावा मिल सके और इसे देश के लिए उपयोगी बनाया जा सके।

एनएसजी स्थापना दिवस

- हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) स्थापना दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसजी जवानों और उनके परिवारों की समर्पित सेवा के लिए प्रशंसा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न खतरों से भारत की रक्षा करने में एनएसजी कर्मियों के अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की और उनकी बहादुरी को अद्वितीय बताया।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के बारे में:

- एनएसजी, जिसे अक्सर उनकी विशिष्ट काली वर्दी के कारण 'ब्लैक कैट्स' के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1984 में कैबिनेट के फैसले के बाद की गई थी। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद 22 सितंबर, 1986 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आई।
- इस इकाई का गठन आतंकवाद से लड़ने और भारत में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में, एनएसजी ने कई हाई-प्रोफाइल आतंकवाद-रोधी और बंधक बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है।

3डी-प्रिंटेड डाकघर

- भारत में पुणे, बेंगलुरू के बाद 3डी प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित होने वाला दूसरा डाकघर बनने जा रहा है, जिसे तीन महीने से भी कम समय में पूरा करने की योजना है।
- पारंपरिक निर्माण पद्धतियों के विपरीत, इस डाकघर में ऊर्ध्वाधर खंभे, ईंटें या स्टील का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर, 3डी प्रिंटिंग के लिए विशेष रूप से विकसित एक अद्वितीय प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा।
- सहकार नगर में नई सुविधा के लिए स्थान निर्धारित किया गया है, हालाँकि निविदा प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। पुणे क्षेत्र डाकघर के सहायक अधीक्षक दत्तात्रेय वरधी के अनुसार, इस डाकघर का परिचालन अगले

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

वर्ष प्रारंभ होने की उम्मीद है।

- भारत में पहला 3डी-प्रिंटेड डाकघर पिछले वर्ष बेंगलुरू में खोला गया था, जोकि निर्धारित समय से दो दिन पहले, केवल 43 दिनों में पूरा हुआ। यह पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में समय की बचत करता है, जिनमें आमतौर पर 6 से 10 महीने का समय लगता है।
- 3डी प्रिंटिंग तकनीक को लागत-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इस प्रक्रिया में, डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और प्रिंटर द्वारा संरचना को आकार देने के लिए सीमेंट या अन्य सामग्रियों को जमा किया जाता है।

ई-माइग्रेट V 2.0

- हाल ही में भारत सरकार ने ई-माइग्रेट V 2.0 लॉन्च किया है, जोकि एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है, जिसका उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। यह प्लेटफॉर्म पंजीकरण, भर्ती ट्रैकिंग और अधिकृत नियोक्ताओं तक पहुँच को सरल बनाकर प्रवास में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाता है। इसमें विदेश में काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया, ई-माइग्रेट V 2.0 सुरक्षित और अधिक समावेशी श्रम गतिशीलता सुनिश्चित करने, भारतीय श्रमिकों के कल्याण और रक्षा करने, विशेष रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहने वालों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- 24/7 बहुभाषी हेल्पलाइन सहायता।
- सुरक्षित और कागज रहित दस्तावेज जमा करने के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकरण।
- विदेशी रोजगार के लिए नौकरी बाजार का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के साथ सहयोग।
- भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से शून्य डिजिटल भुगतान।
- यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) 10 के साथ संरेखित है, जो जिम्मेदार प्रवास को बढ़ावा देता है। ई-माइग्रेट V 2.0 प्लेटफॉर्म भारतीय प्रवासियों को सुरक्षित प्रवास मार्ग प्रदान करने और रोजगार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाने में सहायक होगा।